Chancellor Mada

पत्रांक : [illegible]/संबंधन-27/2020[illegible] 1324

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
तृतीय तल, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची -834002

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची
सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका,
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद,
नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू।

राँची, दिनांक 15/06/2023

विषयः- बी० एड० महाविद्यालयों को बी०एड० पाठ्यक्रम मे अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अद्यतन Statute मे वर्णित प्रावधान के आलोक मे राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संचालित अस्थायी संबद्धता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालयों को बी०एड०/एम०एड० पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-25, 2024-2026 एवं 2025-2027 के लिए कंडिका-3 मे अंकित शर्तों के अधीन निम्नवत रूप से अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान किया जाता है :-

क्र0	महाविद्यालय का नाम	सत्र	विषय	समिति की अनुशंसा
राँची विश्वविद्यालय, राँची				
01	बेथेसदा विमेन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राँची	2023-25, 2024-2026, 2025-2027	एम0एड0	स्वीकृत
02	उर्सुलाईन विमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लोहरदगा	2023-25, 2024-2026, 2025-2027	एम0एड0	स्वीकृत
सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका				
03	मधुस्थली इंस्टीच्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, मधुपुर	2023-25, 2024-2026, 2025-2027	बी०एड०	स्वीकृत
विनोद बिहारी महतो कोयलाञ्चल विश्वविद्यालय, धनबाद				
04	आर० एस० टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कतरास बाज़ार, धनबाद	2023-25, 2024-2026, 2025-2027	बी०एड०	स्वीकृत
नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू				
05	एस०बी० पाण्डेय सनातन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, रेहला, पलामू	2023-25, 2024-2026, 2025-2027	बी०एड०	स्वीकृत

शर्तें:-

i. विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन मे दिये गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाएगा।

ii. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

iii. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम मे वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

क्र0पृ0उ0

iv. जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घीकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति मे विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

v. विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन०सी०टी०ई०/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

vi. विश्वविद्यालय द्वारा जिन प्रस्तावों को Syndicate के अनुमोदन की प्रत्याशा मे प्रेषित किया गया है, उनसे संबन्धित अधिसूचना के पूर्व Syndicate का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा